मध्य प्रदेश में जनजातीय निगिरानी

चर्चा में क्यों?

देश भर के **वन अधिकार कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों** ने जनजातीय समुदायों और वनवासियों के खिलाफ **भेदभावपूर्ण कार्यकारी आदेश जारी करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना** की, जिसमें विभिन्न वन क्षेत्रों में **'कुख्यात शिकारी समुदायों'** की तलाशी और निगिरानी की अनुमति दी गई।

मुख्य बिंदु:

- **आदेश में कानूनी आधार का अभाव:**
  - एक वन अधिकार कार्यकर्त्ता ने इस **आदेश को क्रूर** बताया तथा कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
  - उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने एक बार कुछ जनजातियों को **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के तहत अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद निरस्त कर दिया गया तथा उन्हें विमुक्त कर दिया गया।
- **सरकारी आदेश:**
  - 29 जनवरी 2025 को **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्य प्रदेश ने एक आदेश जारी किया:**
    - मध्य प्रदेश में **अनुसूचित जनजाति** **पारधी समुदाय** सहित **खानाबदोश जनजातियों** की व्यापक खोज और निगिरानी।
    - नर्मदापुरम, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, जबलपुर और बालाघाट के वन मंडलों में लक्षित खोज़ अभियान।
    - खानाबदोश जनजातियों के घरों की तलाशी के लिये श्वान दस्तों का उपयोग।
    - निकटतम पुलिस स्टेशन में विमुक्त जनजातियों की उपस्थिति का अनिवार्य दस्तावेजीकरण।
    - बाघ गलियारों में घरेलू प्लास्टिक की वस्तुएँ, चादरें, जड़ी-बूटियाँ और पौधे बेचने वाले आदिवासी व्यापारियों की निगिरानी।
- **औपनिवेशिक मानसिकता और कानूनी उल्लंघन:**
  - यह बताया गया कि **वन विभाग खानाबदोश जनजातियों को आदतन अपराधी मान रहा है,** जो सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के विपरीत है।
  - विशेषज्ञों का तर्क है कि यह आदेश **वन अधिकार अधिनियम, 2006** के तहत अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो सुनिश्चित करता है:
    - वन भूमि पर निवास करने और कृषि करने का अधिकार
    - वन उपज तक पहुँच
    - आवासों पर सामुदायिक स्वामित्व अधिकार
    - खानाबदोश और पशुपालक समुदायों के लिये मौसमी संसाधन तक पहुँच
    - SC/ST अधिनियम के तहत सुरक्षा और संभावित कानूनी परिणाम
    - **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के तहत भी जनजातीय अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है।

पारधी जनजाति

- यह ज़्यादातर **महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
- पारधी शब्द **मराठी शब्द 'पारध'** से लिया गया है **जिसका अर्थ है शिकार करना** और **संस्कृत शब्द 'पापर्धी' जिसका अर्थ है शिकार किया जाने वाला खेल।**
- वे **राजस्थानी और गुजराती की मिश्रित** बोलियाँ बोलते हैं, मुख्यतः **वागड़ी और पारधी भाषाएँ।**
  - ये भाषाएँ **पश्चिमी इंडो-आर्यन भाषा समूह** की **भील भाषाओं** में वर्गीकृत हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tribal-surveillance-in-mp